

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

मु.नं. 85/20 जी.सी.एम.एस. 2020/00131

नवल कुमार सुमन पुत्र नंदलाल सुमन जाति माली निवासी किशोरपुरा कोटा मकान नंबर 405 वजरंग बस्ती कोटा।

-वादी-

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्घे तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

- प्रतिवादी-

वाद अन्तर्गत धारा 88. आर.टी.एक्ट इन्द्राज दुरुस्त किये जाने नाम बाबत

उपस्थित -

वादी की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया।

प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से- तहसीलदार कनवास।

निर्णय

वादी द्वारा जर्घे एडवोकेट वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं अन्य सहखातेदार के संयुक्त खाते की आराजी ग्राम खजूरी पटवार हल्का खजूरी तहसील कनवास के जमाबंदी सम्वत् 2074-77 खाता संख्या 414 के खसरा नंबर 108 की रकबा 0.20 है, खसरा नंबर 109 की 0.20 है0, खसरा नंबर 110 की रकबा 0.14 है0, खसरा नंबर 111 की 0.14 है0, खसरा नंबर 112 की 0.22 है0, खसरा नंबर 113 की रकबा 0.22 है0, खसरा नंबर 114 की 0.40 है0, खसरा नंबर 136 की 0.02 है0, खसरा नंबर 137 की 0.02 है0, खसरा नंबर 1401 की 0.38 है0, खसरा नंबर 340 की 0.01 है0, खसरा नंबर 341 की 1.26 है0, खसरा नंबर 342 की 0.71 है0, खसरा नंबर 343 की 0.51 है0, खसरा नंबर 344 की 0.35 है0, खसरा नंबर 345 की 0.90 है0, खसरा नंबर 352 की 0.08 है0, खसरा नंबर 353 की 0.02 है0, खसरा नंबर 359 की 1.82 है0, कुल 19 किता की कुल रकबा 7.60 है0, जिसमें वादी का 1/36 हिस्सा दर्ज है। वादी का उक्त आराजी में खातेदार की रूप में नवल किशोर पुत्र नंदा जाति माली साकिन देह दर्ज हो रहा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम नवल कुमार तथा वादी के पिता का नाम नंदलाल है। सभी सरकारी दस्तावेजों अंकतालिका, स्कूल प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी0, राशन कार्ड सभी में वादी का नाम नवल कुमार पुत्र नंदलाल दर्ज है। तथा जमाबंदी खाते में नवल किशोर पुत्र नंदा दर्ज है। जिससे वादी को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिये वादी का नाम उपरोक्त जमाबंदी में नवल कुमार सुमन पुत्र नंदलाल जाति माली निवासी साकिन देह दर्ज कराना आवश्यक हो गया है। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी तहसीलदार कनवास की तलवी जारी की गई, तहसीलदार कनवास द्वारा 12.01.2021 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खजूरी पटवार हल्का खजूरी तहसील कनवास के जमाबंदी सम्वत् 2074-77 खाता संख्या 414

Page no 1

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कनवास जिला कोटा (राज0)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इत्दादाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

मु.नं. 85/20 जी.सी.एम.एस. 2020/00131

नवल कुमार सुमन पुत्र नंदलाल सुमन जाति माली निवासी किशोरपुरा कोटा मकान नंबर 405 बजरंग बस्ती कोटा।

-वादी-

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

- प्रतिवादी-

वाद अन्तर्गत धारा 88. आर.टी.एक्ट इन्द्राज दुरुस्त किये जाने नाम बाबत

उपस्थित -

वादी की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया।

प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से- तहसीलदार कनवास।

मुकदमा नं. 185/20 सन् 2020 तारीख फैसला 02.02.2021 न्यायालय ब इजलास राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू उपखण्ड अधिकारी कनवास बहाजरी एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है अंतिम डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम खजूरी पटवार हल्का खजूरी तहसील कनवास के जमाबंदी सम्वत् 2074-77 खाता संख्या 414 के खसरा नंबर 108 की रकबा 0.20 है, खसरा नंबर 109 की 0.20 है0, खसरा नंबर 110 की रकबा 0.14 है0, खसरा नंबर 111 की 0.14 है0, खसरा नंबर 112 की 0.22 है0, खसरा नंबर 113 की रकबा 0.22 है0, खसरा नंबर 114 की 0.40 है0, खसरा नंबर 136 की 0.02 है0, खसरा नंबर 137 की 0.02 है0, खसरा नंबर 1401 की 0.38 है0, खसरा नंबर 340 की 0.01 है0, खसरा नंबर 341 की 1.26 है0, खसरा नंबर 342 की 0.71 है0, खसरा नंबर 343 की 0.51 है0, खसरा नंबर 344 की 0.35 है0, खसरा नंबर 345 की 0.90 है0, खसरा नंबर 352 की 0.08 है0, खसरा नंबर 353 की 0.02 है0, खसरा नंबर 359 की 1.82 है0, कुल 19 किता की कुल रकबा 7.60 है0, के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम नवल किशोर पुत्र नंदा के स्थान पर नवल कुमार सुमन पुत्र नंदलाल जाति माली दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उपरोक्त आराजी का नवल कुमार सुमन पुत्र नंदलाल जाति माली को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। नीज ... X ...मुवलिंग X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखूत व मुहर अदालत के आज तारीख 02.02.2021 को जारी की गई।

मोहर



उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कनवास जिला कोटा (राज0)

मुदई/स्व	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुकमनामा	
बाबत इजराय हुकमनामा		मुतफरिंक	
मुतफरिंक		मीजान	
मीजान				

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कनवास जिला कोटा (राज0)